



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं0 पटना 284) पटना, बृहस्पतिवार, 19 मार्च 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
18 मार्च 2026

सं० जे०/डी०ई०मिस०-15/2021/2840—गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या—एस०ओ०-13122, दिनांक-19.12.2025 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं०-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक-01.04.2026 से दिनांक-30.06.2026 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमलेन्दु कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

18 मार्च 2026

सं० जे०/डी०ई०मिस०-15/2021/2840 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमलेन्दु कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 18th March 2026

No. J/DE-Misc-15/2021/2840—C In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-13122, dated-19.12.2025 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.04.2026 to 30.06.2026.

*By order of the Governor of Bihar,
Amlendu Kumar Singh,
Joint Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 284-571+100-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>